जबाबदेही

सजग, सतर्क,सावधान, जनशक्ति ही एक मजबूत जनतंत्र का आधार है । जनता को अपने अधिकारों की अवहेलना न करके,उनका उपयोग करना होगा । जनतंत्र मे ही क्यों हर जगह जबाबदेही एक बहुत ही आवश्यक अवयव है,यदि किसी भी संस्था को सुचारू रुप से चलना है । भारतीय प्रशासन के बारे में यह कहाँ तक सही उतरती है इसे देखें । पर हम यहाँ सिर्फ जनतंत्र की बात करेंगे । यह बात अवश्य ध्यान मे रक्खें कि संविधान जरुरी है पर जनता सर्वोपरि है अब तक हम एक सौ बार से ज्यादा संविधान को बदल चुके हैं । जब जनता ही सर्वोपरी है तो प्रशासन की जबाबदेही भी जनता के प्रति होनी आवश्यक है क्योकि संविधान कोई जीता जागता प्राणी नहीं है । जबाबदेही की अनुपस्थिति ही भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है,वर्तमान नियमानुसार रिश्वत लेने व देने वाले दोनो मुजरिम कैसे हो सकते है ? **रिश्वत लेने वाला ही अपराधी होना चाहिये क्योकि वह अपने कर्त्तव्य को करने के लिये वेतन के अलावा कुछ चाह रखता है।**

राष्ट्रपति-राज्यपाल हैं हर काम उसके नाम मे होता है पर किसी भी काम मे क्या, किसी छोटे से काम को वह अपनी मर्जी से नही कर सकते, तो उनकी जनता जबाबतलवी कैसे करेगी । उसका चुनाव भी जनता सीधे नही करती है तो जनता के प्रति उसकी जबाबदेही कैसे होगी । इनको शपथ भी संविधान के प्रति वफादारी की दिलाई जाती है, जबकि शपथ जनता की भलाई के लिये दिलाई जानी चाहिये । अहम सवाल होना चाहिये, **हमे राष्ट्रपति व राज्यपालों की क्या जरुरत है जनतंत्र मे?**

प्रधानमंत्री - उसकी जबाबदेही पार्टी के प्रति होती है संविधान के प्रति होती है जनता तक पहुँचते पहुँचते जबाबदेही गायब ही हो जाती है । इनका चुनाव भी जनता सीधे नहीं करती है तो जनता के प्रति उसकी जबाबदेही कैसे होगी । इनको शपथ भी संविधान के प्रति वफादारी की दिलाई जाती है, जबकि शपथ जनता की भलाई के लिये दिलाई जानी चाहिये । प्रधानमंत्री प्रजातंत्र का चालक होता है उसे बहुमतों वाली पार्टी का होना चाहिये न कि बहु सदस्यो बाली पार्टी का नेता मात्र हो, इससे पार्टी बाजी को बल मिला है और जनता के अधिकारो का हनन हुआ है । वाँटो खाओ मजा उडाओ, नियमो को ताक पर रख दो और जनता को उल्लू बनाओ क्योकि वोट तो फिर पाँच साल बाद लेने जाना है । काम को सूचारु रुप से चलाने के लिये **प्रधानमंत्री सलाहकार रख सकता है,तो जनता उसको यह अधिकार भी दे कि वह सचिबो को भी चून सकें, जब सचिव बह चुनेगा तो मत्रिंयो की क्या आवश्यकता है दोहरापन दूर होगा।**

मंत्री - उनकी जबाबदेही सिर्फ प्रधानमंत्री तक ही रह जाती है जनता तक न वह पहुचते है न आम जनता उन तक पहुँच पाती है । इनका चुनाव भी जनता सीधे नहीं करती है तो जनता के प्रति उसकी जबाबदेही कैसे होगी । इनको शपथ भी सविधान के प्रति वफादारी की दिलाई जाती है, जबकि शपथ जनता की भलाई के लिये दिलाई जानी चाहिये । इनकीं जरुरत भी नहीं है क्योकि जब सचिव, उप सचिव सभी होते है वही काम करते है, यदि है भी तो **इनका सांसद या विधान सभा का प्रतिनिधि होना जरुरी नहीं है क्योकि जनता ने उन्हे यह कार्य नहीं सौपा है** ।

सांसद - एक बार चुन लीजिये फिर उनकी जबाबदेही जनता के साथ नहीं के बराबर है यदि वह रिश्तेदार, पार्टी, गुट, जात, विरादरी, मे न आती हो । यदि उनकी पार्टी पावर मे है तो ठीक वरना सौदेबाजी ही उनका काम रह जाता है, प्रश्न पूछने के भी दाम है । आप उन्हे चुने यह अधिकार तो आपको है पर उन्हे हटाने का जनता के पास कोइ तरीका नही है । यह तो एक तरफा बात हुई, पर इसे बातचीत नहीं कहा जा सकता है यह तो हुक्मराना तरीका हुआ, यह तरीका कितना सफल है आप सब जानते हैं । इनको शपथ भी सविधान के प्रति वफादारी की दिलाई जाती है, जबकि शपथ जनता की भलाई के लिये दिलाई जानी चाहिये । **राज्यसभा व विधान परिषद जिन जिन राज्यों मे है उन्हे बन्द कर देना चाहिये।**

नौकरशाही - उनकी जबाबदेही बस सरकार तक है, सरकार कौन है? इस बात को आगे चलकर देखेंगे । पर सरकार जनता की तो नही है । वैसे यह ब्रिटिश सरकार की परछाई है जो जनता पर राज्य करने के लिये थोप दिया था, जनता को प्रोत्साहन के लिये नही। जब कर्मचारी तंत्र के लिये काम नहीं कर रहे होते है तो मंत्रियो की चापलूसी करते हैं ताकि अच्छी जगह काम पर लगे रहें, हांलाकि संविधान से उनकी नौकरी पक्की हैं । जनता तो उनके काम और मंजिल तक पहुचने मे अडचन ही डालती है । न तो जनता ने उन्हे चुना है न ही हटा सकती है तो जबाबदेही जनता के लिये क्यो होगी? हाँ यह बात और है कि उनके काम से यदि जनता का कोई काम हो जाय अनजाने मे, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं यदि उनकी जेबें भी भरती रहे। सब उच्च पद समय बध्य होना चाहिये व सरकारी तंत्र के अलावा जनता का भी हाथ हो इनकी नियुक्ती मे । इन को हटाने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिये जो जनता के अधिकारो के अन्तर्गत आनी चाहिये । किसी भी कर्मी की तीन से अधिक शिकायतें सही पाई गई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिये । एक और सवाल मन मे आ रहा है **कि हमको इतने सारे IAS,PCS,IPS,IRS, IFS की क्या जरुरत** है यदि नियम सरल व लागू करने लायक हो तो जनता मानेगी । जनता व प्रशासन को एक साथ काम करने की जरुरत है, एक दूसरे के विरोधी पालों मे काम करने की जरुरत है। जब प्रशासन नही काम कर रहा तो नये तरीके तो निकालने ही पडेंगे, यह कहना ठीक नही है काम नहीं कर रहा पर बहुजन हिताय नहीं है।संविधान भी बदल दें पर **नौकरशाही**

इतनी हुक्म उदूली पर उतारु है उस पर उसको लागू नहीं होने देती क्योंकि उससे उनके कार्य क्षेत्र मे कमी जो आ जायेगी उन्हे अपनी ताकत मे कमी लगने लगती है । इसका सबसे बडा उदाहरण है - पंचायत सम्बन्धी संविधान प्रविधान जिसमे पैंतीस कार्य डी एम से सीधे पंचायत के सरपंच के आधिकार मे जाने है । यह तंत्र बहुत बडा व महँगा हो गया है उस पर अंकुश लगाना ही होगा जनता को । और ऐसा लगता है अन्धा बाटे रेबडी खुद अपनो को ही दे । नेता अपनी तनखा व कर्मचारियों की बार बार ज्यादा करते जाते हैं और सुविधाये भी, जनतंत्र मे भी जनता से कोई राय नहीं ली जाती हैं क्यों न जनमत के वोटो से उसका निर्णय हो? पूरे देश मे मिटिगें होनी चाहिये प्रतिनिधियो के उपर यह काम अब नहीं छोडा जा सकता, क्योकि यह तरीका अब तक कारगार सबित नहीं हुआ है ।

पुलिस - जब इसकी रचना ही सरकार ने इसलिये की थी कि जाहिल प्रजा को काबू मे रक्खा जाय, नियम देख लिजिये सन जो 1859 मे बने थे उनमे सुधार जो किये जा रहे हैं पर बहुत ही धीमी चाल से। पर फिर भी यह नहीं भूलें कि जनता न तो पुलिस को रखती है न उन्हे हटा सकती है भई, **पुलिस स्थानीय शासन के अनर्तगत क्यों न्हीं? क्योकि स्थानिये शासन जनता के बहुत पास है और उसे आसानी से स्थानिये जरूरतो के हिसाब से बदला जा सकता है।** अभी भी पुलिस प्रान्तिय सरकार का एक अंग हैं, और जब उन्हे नेताओं, अधिकारियों, जजों, आदि की सुरक्षा, तबादलों, से फुर्सत मिलेगी तभी तो जनता तक पहुचेंगे । निहत्ती जनता पर गोलियाँ सिर्फ कुछ ही देशो मे चलाई जाती है, भारत उन महान देशो मे एक है । जनता जबाबदेही कैसे करे? इसका कोई आसान तरीका जनता के पास होना चाहिये जैसे यदि किसी पुलिस कर्मी की तीन से अधिक शिकायते सही पाई गई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाये । यह प्राविधान भी सरल होना चाहियें । **तबादला पुलिस का नहीं होना चाहिये बरना जनता और पुलिस के बीच तारतम्य नही पनप पाता हैं ।**

न्यायपालिका - यह भी सरकार का एक हिस्सा है जब कि इसे स्वायत्त होना चाहिये । न्यायपालिका को भी संविधान से छूट मिली हुई है कि तुम जनता को जितना चाहे तंग करो तुम्हारा स्थानान्तरण हो जायेगा पर नौकरी पक्की रहेगी, तो यह भी सरकार का हिस्सा थी । न्यायपालिका जनता के प्रति वफादारी क्यों दिखायेगी । जवाबदेही का सवाल ही नहीं उठता है जनता के प्रति । जनता को तो इसे चुनने का अधिकार भी नहीं है न ही हटाने का । एसा क्यो न हो जाय कि **इनका चुनाव भी जनता करे चार या पाचँ साल के लिये और इनका कार्य सही न होने की स्थिति मे उन्हें हटाया भी जा सके यह प्राविधान भी सरल होना चाहियें** । न्याय अन्धा होता है वह ऊचं नीच, छोटा बडा, गरीब अमीर, नहीं देखता है । न्यायधीश भी स्थानिय होने चाहिये ताकि जनता व न्यायपालिका एक दूसरे को समझ पाये और एक दूसरे के काम मे मदद करें और जो समस्याये उनके सामने हैं उन्हे दूर कर पायें । यह समझे कि जनता का मकसद पुलिस विरोध नहीं हैं और जनता का मतक अपराधी भी नहीं हैं ।

जनता - जैसा उपर लिखा भी है जनता को सजग सतर्क जागरुक होना बहुत ही जरुरी है गणतंत्र मे वरना काम सुचारु रुप से नही चलेगा । अधिकारों की ही बात नहीं वरन र्कतव्यों की बात भी समझनी होगी जनता को, यह देखना बहुत ही जरुरी है कि संविधान के अनुरुप व्यवस्था तंत्र काम नहीं कर रहा हैं या नही, वरन आबाज ही नहीं, एसा करना होगा ताकि अव्यवस्था को रोका भी जाय और बदला भी जा सके, इसके लिये अपने सेवकों को मिली सुविधाओ को भी एक हद मे रखना होगा । साथ मे यह भी कि जिन नियमों को हमने मान भी लिया उन पर चले वरना बदले इन नियमों को जिन पर जनता न चलना चाहे । अब जनता देखे कि साठ सालो मे हमें **बिजली पानी सुरक्षा** यह तंत्र नही दे पाया है सरकारी संस्थान भी बह नहीं कर पाये जिन्हें करने के लिये उनका गठन किया था, उनका हल यह ही नही है इन संस्थानो को चन्द निजी संस्थानो को सौप दें या बेच दें । **जनता आयोग जो स्वतंत्र हो, किसी तंत्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो और बहुमत जनमत से चले । जब जनता एक एक करके अपनी पानी बिजली सुरक्षा अपने अपने ढ़ंग से कर पाती है तो समूहिक रुप से भी कर पायेगी यह विश्वास तंत्र को करना होगा ।** पिछले साठ सालो मे कितनी गलतियाँ कर चुके है पर कहते है कि आप अपनी गलतियों से सीखते है पर हमारे तंत्र ने क्या सीखा है अब तक ? **क्यों न तंत्र पानी बिजली सुरक्षा का सारा भार जनता के अलग अलग आयगों को सौप दें** । जो सारे काम खुद करे कितना रेट होगा? कितनी बिजली बनाई जायेगी? कितना पानी कहाँ से आयेगा? कैसे बटेगा? आदि। क्योकि तंत्र तो अभी तक नहीं कर पाया हैं क्यो न ओरो को करने का मौका दे वों शायद कर पाये ठीक प्रकार से । **क्योकि सारे होशियार लोग तंत्र या नेता ही नही होते है और हमारे यहाँ जनता कै सुझावों पर कोई ध्यान नही देता** ।

याद रक्खे कि जितनी अधिक एजेंसी किसी काम मे हाथ डालेगी उतनी ही देर लगेगी उस काम को पूरा होने में। हमारे देश मे आयोग तो बहुत बने पर उन्हें काम करने की स्वतंत्रता दी गई पर उनकी सलहों को कार्य रुप मे नही बदला गया, अपवाद है वेतन आयोगों को छोडकर क्योकि उससे वेतन भोगियों का फायदा जो है। जनता प्रतिनिधि इतने कम है काम इतने ज्यादा है कि हर काम उनके उपर नहीं छोडा जा सकता हैं **जहाँ तक जनता सेवकों के कार्यो पर अकुंश का सवाल है जनता कि समितियाँ बनाई जाय हर स्तर, पर जो पार्टी पर आधारित न हो वरन सिर्फ समान्य जनता से चुनी जाय जिनका कार्यकाल सिर्फ दो साल का हो, जो यह देखे कि विभागो मे काम नियमानुसार हो रहा है या नहीं। समान्य कार्य मे किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप तो नहीं है, और विभागो के कर्मचारी कुशल हैं** ।

उमेश रश्मि रोहतगी **24161 nilan drive Novi MI 48375 phone: 248-471-5786 06-17-07**
web page :www.rurohatgi.com" email: rurohatgi@yahoo.com